

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
योजना एवं समन्वय निदेशालय
पंचम तल, 'सी' ब्लॉक, रक्षा कार्यालय परिसर
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 25 जुलाई 2025

इस रिक्ति परिपत्र के पृष्ठ -04 के वितरण सूची के अनुसार

विषय : योजना एवं समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर योजना अधिकारी (एमएस) की नियुक्ति

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना एवं समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में योजना अधिकारी (एमएस) (7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-13 में) एक पद रिक्त है। यह पद प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध पर नियुक्ति शामिल है) आधार पर भरी जाएगी। यद्यपि योजना एवं समन्वय निदेशालय के स्थापित प्रतिमानकों एवं वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार, सशस्त्र सेनाओं के संबंध में, आवेदक का मूल रैंक सेना/वायुसेना/नौसेना का क्रमशः कर्नल/ग्रुप कैप्टेन/कैप्टेन होना चाहिए।

2. योजना अधिकारी (एमएस) के लिए कार्य विनिर्देश:

- i) रक्षा उत्पादन विभाग(डीडीपी) के साथ -साथ सरकार के अन्य मंत्रालयों में मिसाइल प्रणाली परियोजनाओं से संबंधित सूचनाओं का संग्रह, अध्ययन और विश्लेषण, ताकि पुरे देश में रक्षा वस्तुओं से संबंधित विभिन्न उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और उत्पादन क्षमताओं की संभावित उपलब्धता की अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सके।
- ii) मिसाइलों से संबंधित रक्षा कारखानों में उत्पादन क्षमता, कच्चे माल, मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों की आवश्यकता का विश्लेषण।
- iii) नई पीढ़ी की मिसाइलों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्वदेशीकरण, उत्पादन और निगरानी। मिसाइलों के स्वदेशी उत्पादन और एसएमडीआईसी से संबंधित सभी मामले।
- iv) उन परियोजनाओं की प्रगति जो मिसाइल विंग की जिम्मेदारी बन जाती है।
- v) अनुबंध के दायरे में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के पहलू और टीओटी के अवशोषण की निगरानी।
- vi) मिसाइलों के उत्पादन और रखरखाव में शामिल अनुसंधान और विकास /गुणवत्ता आश्वासन संगठनों और उत्पादन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संपर्क।

vii) 'मेक' प्रक्रिया से संबंधित सभी नीतिगत मामले, 'मेक' परियोजनाओं की निगरानी, नियमित कॉलेजिएट बैठकें आयोजित करना और उनके निर्णयों के कार्यान्वयन में तेजी लाना।

viii) मेक इन इंडिया से संबंधित सभी नीतिगत मामले, जिनमें नीति निर्माण, सभी एजेंसियों के साथ समन्वय और उद्योग की चिंताओं का समाधान शामिल है।

ix) डीएपी-2020 के प्रावधानों की जांच, डीएपी में संशोधन के प्रस्ताव आदि।

x) पीपीओ 2017 के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामले, डीपीएसयू/ओएफबी में कार्यान्वयन की निगरानी, डीपीआईआईटी के साथ समन्वय, सीएबी सचिवालय/ डीपीआईआईटी द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन।

xi) डीआरडीओ की टीडीएफ परियोजनाओं से संबंधित सभी मामले।

xii) डिफेंस एक्सपो/ऐरो इंडिया के संबंध में सौंपे गए कार्य, मुख्य रूप से इंडिया पैविलियन के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल के रूप में।

xiii) 'मेक इन इंडिया' रक्षा पोर्टल का रखरखाव और अद्यतन।

3. अनिवार्य/वांछनीय योग्यता:

(क) अधिकारी के पास भौतिकी /इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी या बी.ई/बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल) होना चाहिए।

या

(ख) तकनीकी स्टाफ कोर्स(टीएसजी) या उत्तीर्ण कोर्स(पीएससी) योग्यता वांछनीय है। अधिकारी को रक्षा उपकरण और रक्षा खरीद प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

4. विधा/अर्हता:

भारत सरकार के सेवारत अधिकारी/पी एस यू के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण निम्नानुसार:-

I. अखिल भारतीय सेवा के उपयुक्त अधिकारी, आईओएफएस या केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप 'ए' के सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी

या

II. डीआरडीओ/ सेना/वायु सेना/नौसेना में सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी

या

III. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सदृश्य पदों पर कार्यरत अधिकारियों की अल्पावधि अनुबंध पर नियुक्ति

5. प्रतिनियुक्ति की शर्तें:

क) प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 05 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि के अभिकलन में इस नियुक्ति से तुरन्त पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि की भी गणना की जाएगी।

ख) प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारी का वेतन सरकार के वर्तमान आदेशों/अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर सैन्य अधिकारियों के चयनित होने पर वे अपने वेतन एवं भत्ते अपने सी डी ए से प्राप्त करेंगे।

6. आवेदन करने की प्रक्रिया

पात्र/इच्छुक अधिकारी, जिन्हें चयनित होने पर प्रतिनियुक्त के पूरे कार्यकाल तक के लिए छोड़ा जा सके, इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा के आधार पर अपने आवेदन संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी से विधिवत संस्तुति कराकर पिछले 05 वर्षों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियों/एसीआर डाजियर के साथ **उप-निदेशक (प्रशासन एवं समन्वय), रक्षा मंत्रालय, योजना एवं समन्वय निदेशालय, कमरा सं. 502, पंचम तल, 'सी' ब्लॉक, रक्षा कार्यालय परिसर, के जी मार्ग, नई दिल्ली- 110001** के पते पर अग्रेषित कर सकते हैं। आवेदन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के अंदर उक्त पते पर पहुंच जाएं। आवेदनकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया के बीच में अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

7. आवेदन केवल संलग्न प्रोफार्मा पर ही किया जाए। सैन्य अधिकारियों के संबंध में जहां भी वांछनीय हो उनका सेवा रिकार्ड प्रस्तुत किया जाएगा।

8. प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया जाए कि संबंधित अधिकारी द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है और अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक मामला लंबित या विचारार्थ नहीं है।

9. सभी प्रेषिती से अनुरोध है कि इस परिपत्र को व्यापक रूप से परिचालित करें। सभी सैन्य मुख्यालयों के साथ-साथ डी ओ ओ (सी एंड एस) से अनुरोध है कि वे इस रिक्ति परिपत्र का व्यापक प्रचार करें एवं इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। इस परिपत्र को इस निदेशालय द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट www.ddpmod.gov.in पर 'Vacancy & Circular' हाइपर लिंक के अंतर्गत 'योजना एवं समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर योजना अधिकारी (एमएस) की नियुक्ति' नाम से अपलोड किया जाना है।

2022

(राधा रमन कुमार)

उप-निदेशक (प्रशासन एवं समन्वय)

वितरण:

1. रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय(सेना)
एम एस शाखा/एम एस -3बी
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. विंग कमांडर पी ओ -1 (आंतरिक प्रतिनियुक्ति)
कमरा सं. 328(सी), वायु सेना मुख्यालय, वायु भवन
3. नौसेना मुख्यालय/ डीओपी, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-11
4. निदेशक जी
डी ओ ओ (सी एंड एस)
के जी मार्ग, नई दिल्ली -01
5. आई डी एस मुख्यालय, कश्मीर हाउस, नई दिल्ली -11
6. सभी मंत्रालय/भारत सरकार के विभाग (रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से)
7. डी आर डी ओ (निदेशक/कार्मिक), डी आर डी ओ भवन
8. डी जी क्यू ए/प्रशासन-4, 'जी' ब्लॉक, नई दिल्ली -11
9. कैडर नियंत्रक प्राधिकारी:-
निदेशक(ई), 'बी' विंग, सेना भवन
10. सभी डी पी एस यू
11. अवर सचिव(प्रशासन)
डी ओ पी टी
कमरा सं- 5ए, भूतल, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
12. अपर महाप्रबंधक, डीपीआईआईटी प्रभाग- उपर्युक्त रिक्ति परिपत्र के पैरा 09 पर उल्लिखित यह रिक्ति परिपत्र रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आपको ई-मेल किया जा रहा है।

बायोडाटा प्रोफार्म

योजना अधिकारी (एमएस) हेतु आवेदन पत्र

1. नाम एवं पता:
2. जन्मतिथि:
3. केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख:
4. शैक्षिक अर्हता:
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता पूरी हो रही हैं:
(यदि कोई अर्हता नियमों में वर्णित अर्हता के समतुल्य मानी जा रही है तो उसके लिए प्रधिकार प्रस्तुत करें)

अपेक्षित अर्हता/अनुभव

अधिकारी द्वारा अर्जित अर्हता/अनुभव

अनिवार्य : (क)

(ख)

(ग)

वांछनीय: (क)

(ख)

6. पद से संबंधित अनुभव का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 100 शब्दों में)
7. कृपया स्पष्टतः यह बताएं कि आप इस पद की अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं:
(आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर)
8. सेवायोजन का विवरण, कालानुक्रम में:
(नीचे दी गई जगह कम होने की दशा में, सूचना एक अन्य शीट में स्वहस्ताक्षर से प्रमाणित कर लगाएं)

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	कब से	कब तक	वेतन स्केल एवं मूल वेतन	कार्य की प्रकृति

9. वर्तमान सेवा की प्रकृति :
(तदर्थ/अस्थायी/अर्द्ध-सरकारी/स्थायी)
10. यदि वर्तमान सेवायोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो, कृपया बताएं:
क) आरम्भिक नियुक्ति की तारीख
ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति का काल
ग) मूल कैडर/संगठन का नाम
11. वर्तमान सेवायोजन के बारे में अतिरिक्त विवरण
कृपया बताएं कि क्या आप निम्न के अंतर्गत काम कर रहे हैं :
क) केंद्र सरकार
ख) राज्य सरकार
ग) स्वायत्त संगठन
घ) सरकारी उपक्रम
इ) विश्वविद्यालय
12. क्या आप पुनर्निर्धारित वेतनमान पर हैं? यदि हां तो वह दिनांक बताएं जब से पुनर्निर्धारण हुआ एवं यह भी बताएं कि पुनर्निर्धारित वेतन क्या था:
13. वर्तमान में प्रतिमाह परिलब्धियां:
14. पद के लिए उपयुक्तता के समर्थन यदि कोई अन्य अतिरिक्त सूचना जो आप देना चाहते हैं :
यदि यहां दी गई जगह कम है तो एक पृथक शीट पर विवरण लिखकर संलग्न करें।
15. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं:
16. टिप्पणी:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पता

मोबाइल नंबर

दिनांक:

सत्यनिष्ठ प्रमाण पत्र और दंड के संबंध में घोषणा

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान / श्रीमती / कर्नल / कैप्टेन(भा. नौ.) / ग्रुप कैप्टेन की ईमानदारी संदेह से परे है।
2. अधिकारी को पिछले दस वर्षों में उसकी सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार की चूक के लिए दंडित नहीं किया गया है।

या

अधिकारी को (अवधि) के दौरान (अपराध की प्रकृति) के लिए जुर्माना (जुर्माना की प्रकृति) लगाया गया है।

(सक्षम प्राधिकारी)

योजना अधिकारी (एमएस) के लिए कार्य विनिर्देश:

- i) रक्षा उत्पादन विभाग(डीडीपी) के साथ –साथ सरकार के अन्य मंत्रालयों में मिसाइल प्रणाली परियोजनाओं से संबंधित सूचनाओं का संग्रह, अध्ययन और विश्लेषण, ताकि पुरे देश में रक्षा वस्तुओं से संबंधित विभिन्न उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और उत्पादन क्षमताओं की संभावित उपलब्धता की अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सकें।
- ii) मिसाइलों से संबंधित रक्षा कारखानों में उत्पादन क्षमता, कच्चे माल, मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों की आवश्यकता का विश्लेषण।
- iii) नई पीढ़ी की मिसाइलों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्वदेशीकरण, उत्पादन और निगरानी। मिसाइलों के स्वदेशी उत्पादन और एसएमडीआईसी से संबंधित सभी मामले।
- iv) उन परियोजनाओं की प्रगति जो मिसाइल विंग की जिम्मेदारी बन जाती है।
- v) अनुबंध के दायरे में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के पहलू और टीओटी के अवशोषण की निगरानी।
- vi) मिसाइलों के उत्पादन और रखरखाव में शामिल अनुसंधान और विकास /गुणवत्ता आश्वासन संगठनों और उत्पादन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संपर्क।
- vii) 'मेक' प्रक्रिया से संबंधित सभी नीतिगत मामले, 'मेक' परियोजनाओं की निगरानी, नियमित कॉलेजिएट बैठकें आयोजित करना और उनके निर्णयों के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- viii) मेक इन इंडिया से संबंधित सभी नीतिगत मामले, जिनमें नीति निर्माण, सभी एजेंसियों के साथ समन्वय और उद्योग की चिंताओं का समाधान शामिल है।
- ix) डीएपी-2020 के प्रावधानों की जांच, डीएपी में संशोधन के प्रस्ताव आदि।
- x) पीपीओ 2017 के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामले, डीपीएसयू/ओएफबी में कार्यान्वयन की निगरानी, डीपीआईआईटी के साथ समन्वय, सीएबी सचिवालय/ डीपीआईआईटी द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन।
- xi) डीआरडीओ की टीडीएफ परियोजनाओं से संबंधित सभी मामले।
- xii) डिफेंस एक्सपो/ऐरो इंडिया के संबंध में सौंपे गए कार्य, मुख्य रूप से इंडिया पैविलियन के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल के रूप में।
- xiii) 'मेक इन इंडिया' रक्षा पोर्टल का रखरखाव और अद्यतन।